



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

27 श्रावण, 1943 (श०)

संख्या-428 राँची, बुधवार,

18 अगस्त, 2021 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

30 जुलाई, 2021

संख्या-5/आरोप-1-520/2014का०-3532--राँची, श्री पवन कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-663/03, गृह जिला-हजारीबाग), के विरुद्ध इनके अंचल अधिकारी, तरैया, सारण, बिहार के पद पर पदस्थापन अवधि से संबंधित जिला पदाधिकारी, सारण, छपरा, बिहार के पत्रांक-180 दिनांक 01.07.2004 द्वारा प्रपत्र-'क' में आरोप उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध अंचल कार्यालय, तरैया, सारण के पद पर कार्यावधि में कर्मचारियों के भविष्य निधि लेखा से अग्रिम की स्वीकृति देने एवं निकासी करने में नियमों का अनुपालन नहीं करने का आरोप प्रतिवेदित किया गया है ।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं उनसे प्राप्त स्पष्टीकरण के समीक्षोपरान्त विभागीय संकल्प सं०-2951 दिनांक 05.05.2009 द्वारा इनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसमें श्रीमती शीला किस्कू रपाज, भा०प्र०से०, तत्कालीन आयुक्त, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमण्डल, राँची, सम्प्रति-सेवानिवृत्त को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया ।

श्रीमती रपाज के पत्रांक-1/स्था०, गो० दिनांक 08.01.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप प्रमाणित पाये गये। इसलिए विभागीय पत्रांक-1623 दिनांक 26.03.2011 द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति संलग्न करते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी। श्री कुमार द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब अपने पत्रांक-20 दिनांक 25.04.11 एवं पत्रांक-60 दिनांक 15.06.2011 द्वारा समर्पित किया गया।

श्री पवन कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, संचालन पदाधिकारी का जाँच प्रतिवेदन एवं इनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त, विभागीय संकल्प संख्या-6412, दिनांक 14.10.2011 द्वारा श्री कुमार को निम्न दण्ड दिये गये हैं:-

- (क) निन्दन की सजा जो सजा की तिथि से प्रभावी होगी।
- (ख) श्री कुमार की पाँच वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी जाती है।
- (ग) इन्हें निलम्बन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

उक्त दण्ड के विरुद्ध श्री कुमार के ज्ञापक-118, दिनांक 25.11.2011 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया, जिसकी समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार द्वारा उन्हीं तथ्यों को दोहराया गया है, जिस पर पूर्व में विचारोपरान्त निर्णय लिया जा चुका है। इन्होंने कोई नये तथ्यों का उल्लेख नहीं किया है। समीक्षोपरान्त, विभागीय पत्रांक-439, दिनांक 17.01.2012 द्वारा श्री कुमार को उनके अपील अभ्यावेदन को अस्वीकृत करने की सूचना दी गयी। साथ ही, विभागीय संकल्प सं०-10576, दिनांक 12.09.2012 द्वारा उक्त संकल्प को संशोधित करते हुए कंडिका-(ग) में उल्लिखित दण्ड “इन्हें निलम्बन अवधि में मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा” को विलोपित कर दिया गया।

विभागीय संकल्प संख्या-6412, दिनांक 14.10.2011 द्वारा दिये गये दण्ड को निरस्त किये जाने हेतु श्री कुमार द्वारा माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय में याचिका (W.P.(S) No.2096/2012) दायर किया गया, जिसमें दिनांक 14.10.2011 को माननीय न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया। न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है:-

“The appellate order dated 17.01.2012 apparently lacks any reasoning either with respect to the order passed by the disciplinary authority or with respect to the question as to whether the punishment upon the petitioner is disproportionate or proportionate with the charges leveled against him. In such circumstances, the order of the appellate authority dated 17.01.2012 being thoroughly a non-speaking order, deserves to be interfered with.

Accordingly, the order as contained in No. 439 dated 17.01.2012 passed by the respondent No.3 in his capacity as an appellate authority is hereby quashed and set aside and the matter is remanded back to the respondent No.3 to take a fresh decision on the appeal preferred by the petitioner by passing a reasoned and speaking order thereto within a period of six weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.”

उक्त न्यायादेश के अनुपालन में श्री कुमार के अपील अभ्यावेदन पर पुनर्विचार किया गया, जिसमें पाया गया कि अंचलाधिकारी, तरैया के पद पर कार्यरत रहने के दौरान श्री कुमार द्वारा अपने अधीनस्थ कर्मियों के भविष्य निधि खाते से अस्थायी अग्रिम की निकासी एवं समायोजन में भविष्य निधि नियमावली के नियम-15 के विभिन्न उप नियमों, कोषागार संहिता के नियम-227 तथा 520 का पालन नहीं किया गया। अतः प्रतिवेदित आरोपों के लिए श्री कुमार दोषी हैं।

चूँकि भविष्य निधि खाता की राशि संबंधित सरकारी सेवक की राशि है, अतएव संचित राशि से कम राशि निकासी करने पर गबन की स्थिति नहीं बनी है। जिन कर्मियों को भविष्य निधि खाते में संचित राशि से अधिक निकासी कर भुगतान किया गया है, उसका समायोजन भी अन्य अग्रिमों के साथ-साथ बाद में आरोपित पदाधिकारी के प्रतिस्थानी पदाधिकारी द्वारा किया गया है। अतः इन मामलों में भी गबन की स्थिति नहीं बनती है, परन्तु आरोपित सरकारी सेवक द्वारा अपने कर्तव्यों के निर्वहन में नियमों का विचलन किया गया है। अतः उनके विरुद्ध शास्ति अधिरोपित करने का स्पष्ट आधार है। पूर्व में निन्दन के अतिरिक्त उनकी पाँच वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोकी गयी हैं, जो प्रत्यानुपातिक रूप से अधिक प्रतीत होता है।

माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के अनुपालन में एवं अपील अभ्यावेदन के समीक्षोपरांत, विभागीय आदेश सं०-10601, दिनांक 15.12.2015 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध दो वेतन वृद्धियाँ संचयात्मक प्रभाव से रोक का दण्ड इन पर अधिरोपित किया गया।

श्री कुमार द्वारा विभागीय आदेश सं०-10601, दिनांक 15.12.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध पुनः माननीय उच्च न्यायालय झारखण्ड, राँची में W.P.(S) No. 4171/2016- Pawan Kumar Vrs. the State of Jharkhand and others दायर किया गया है, जिसमें दिनांक 18.01.2021 को माननीय न्यायालय द्वारा न्यायादेश पारित किया गया। न्यायादेश का Operative part निम्नवत् है:-

"9. One Prem Prakash Sinha who was identically placed has been left out whereas the petitioner has been punished with major punishment thus, the case of the petitioner also comes within the parameters of parity in punishment. The punishment order is a major punishment. After the first remand, it was required by the appellate authority to pass the order which is not harsh.

10. As a cumulative effect of the above discussion, the writ petition [W.P.(S) No.4171 of 2016] succeeds.

11. The impugned order dated 15.12.2015 is quashed.

12. The matter is remanded back to the appellate authority to consider the case of the petitioner afresh and pass the order afresh within a period of 8 weeks from the date of receipt/production of a copy of this order.

13. With the above observation and direction, the instant writ petition stands disposed of."

उल्लेखनीय है कि श्री प्रेम प्रकाश सिन्हा, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-318/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी-सह-प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तरैया, सारण, छपरा, बिहार को समरूप मामले में विभागीय संकल्प सं०-6383, दिनांक 09.12.2020 द्वारा झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(बी) के तहत इनके पेंशन से 10% राशि की कटौती तीन वर्षों तक करने का दण्ड अधिरोपित किया गया है।

अतः माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची द्वारा W.P.(S) No. 4171/2016- Pawan Kumar Vrs. the State of Jharkhand and others में दिनांक 18.01.2021 को पारित न्यायादेश के आलोक में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है-

(क) श्री पवन कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-663/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तरैया, सारण, बिहार के विरुद्ध विभागीय आदेश सं०-10601, दिनांक 15.12.2015 द्वारा अधिरोपित दण्ड को निरस्त किया जाता है।

(ख) श्री पवन कुमार, झांप्र०से० (कोटि क्रमांक-663/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, तरैया, सारण, बिहार के अपील आवेदन के पुनर्समीक्षोपरांत उनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के अन्तर्गत असंचयात्मक प्रभाव से एक वेतन वृद्धि पर रोक का दण्ड अधिरोपित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

सुधीर कुमार रंजन,
सरकार के संयुक्त सचिव।
